



बिहार विधान सभा

कार्य सूची

सप्तदश विधान सभा

त्रयोदश सत्र

बुधवार, तिथि 27 नवम्बर, 2024 ई०
06 अग्रहायण, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

1. अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

- श्री विजय कुमार खेमका, डॉ० सुनील कुमार एवं श्री अशोक कुमार, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [निर्वाचन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
- सर्वश्री संदीप सौरभ, विजय कुमार मण्डल एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [गृह विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

- संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8 (3) के तहत बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2024 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
- पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
- बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना ।
- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो) ।

मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

“बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024”

- भवन निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री जयन्त राज प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
- भवन निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री जयन्त राज उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
- भवन निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री जयन्त राज प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024” पर विचार हो ।

11. भवन निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री जयन्त राज प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, क्यूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024" स्वीकृत हो ।

"बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024"

12. खेल विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुरेन्द्र मेहता प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
13. खेल विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुरेन्द्र मेहता उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
14. खेल विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुरेन्द्र मेहता प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024" पर विचार हो ।
15. खेल विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुरेन्द्र मेहता प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024" स्वीकृत हो ।
16. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।

ख्याति सिंह


प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-10/2024- 4200

/वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-10/2024- 4200

/वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव / माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय नेता विरोधी दल के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रिगण एवं माननीय नेता विरोधी दल के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-10/2024- 4200

/वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग / विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-10/2024- 4200

/वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।




(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-10/2024- 4200

/वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के निदेशकगण/ उप सचिवगण/ श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।



(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।